[2021] 9 एस. सी. आर. 629

लक्ष्मण प्रसाद पांडे

बानाम

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1551)

11 दिसंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 एस. एस. 147 , 148 , 149 , 307 , 302 , 188 और एस। 120 बी-शस्त्र अधिनियम - धारा 27/30-दो प्राथमिकियां दर्ज की गईं, दोनों एक ही घटना से संबंधित थीं

आग्नेयास्त्र जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों से अंधाधुंध गोलीबारी हुई 2020 की पहली प्राथमिकी (यू/ss.147,148,149,307,302,188,120 बी आई. पी. सी. और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/30) अपीलार्थी द्वारा दायर की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अपने भाई और कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ उनके घर गया था।

उस पैसे को वापस करने की मांग करें जो उसने दूसरे समूह के व्यक्ति को दिया था-यह आरोप है कि उन पर गोली चलाई गई थी और अंधाधुंध गोलीबारी के परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के भाई की मृत्यु हो गई और अन्य घायल हो गए-2020 की दूसरी प्राथमिकी (यू/आई. डी. 1,148,149,307 आई. पी. सी.) एक अन्य समूह द्वारा दायर की गई थी, हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलार्थी और उसका समूह हमलावर थे और उन्होंने उन पर गोली चलाई थी-उच्च न्यायालय ने पहली प्राथमिकी में आरोपी व्यक्तियों को जमानत दे दी और दूसरी प्राथमिकी में आरोपी व्यक्तियों यानी अपीलार्थी को जमानत दे दी।

और अन्य को अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया गया-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: जमानत आवेदन में पहली एफ. आई. आर. से संबंधित कार्यवाही में आदेश के अवलोकन से संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने हालांकि घटना के विवरण और पक्षों के तर्क पर ध्यान दिया है, लेकिन जमानत पर आरोपी को बढ़ाने के लिए संतुष्टि दर्ज करने के लिए इसका विश्लेषण नहीं किया है-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष लगभग शब्दशः समान है -

महिपाल के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निकाला गया और अस्वीकृत किया गया हिस्सा-अभियुक्तों को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, हालांकि आरोप गंभीर थे, जिसमें एस शामिल थे। 302 आई. पी. सी. और एस. 27 / 30 शस्त्र अधिनियम का तथ्य यह है कि उक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने क्रमशः 10,7 और 4 महीने हिरासत में बिताए थे, उच्च न्यायालय के साथ वजन किया है जो आरोप लगाने पर एक शमन कारक नहीं हो सकता था।

इस तरह की गंभीर प्रकृति के लोगों पर मुकदमा चलाया जाना है-इसके अलावा, एक आरोपी के खिलाफ सात मामले दर्ज थे और अभी तक जांच नहीं हुई है

दूसरी एफ़. आई. आर. में पूर्ण-एक व्यक्ति की बंदूक के घाव के कारण मृत्यु हो गई इसलिए, इस मोड़ पर अभियुक्त व्यक्तियों की रिहाई उचित नहीं है।

जहाँ तक अग्रिम जमानत का संबंध है, अपीलार्थी ने स्वयं पहली प्राथमिकी में कहा कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसके भाई की लाइसेंस प्राप्त पिस्तौल पकड़ी है, जो उस अपीलार्थी और उसके समूह का संकेत देगा। सशस्त्र भी थे-इसलिए, इस स्तर पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि कौन सा समूह हमलावर था। राज्य ने संकेत दिया कि अधूरी जांच का एक कारण यह था कि एक व्यक्ति का अभी भी इलाज चल रहा था, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चोटें सरल प्रकृति की नहीं थीं-तत्काल मामले में आरोप गंभीर प्रकृति के थे, जिसके लिए विस्तृत जांच और जांच के दौरान हथियारों की बरामदगी की आवश्यकता होगी, जो अभी पूरी नहीं हुई है-इस प्रकार, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां अपीलकर्ताओं को अग्रिम जमानत प्रदान करके संरक्षित करने की आवश्यकता है-साथ ही, पहली प्राथमिकी में आरोपी को जमानत देने का आदेश रद्द कर दिया गया है और उनके जमानत बांड रद्द कर दिए गए हैं।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. जमानत आवेदन में 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 406 से संबंधित कार्यवाही में दिनांक 16.03.2021 के आदेश का अवलोकन।

यह इंगित करता है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने हालांकि घटना के विवरण और पक्षों के तर्क पर ध्यान दिया है, लेकिन संतुष्टि दर्ज करने के लिए इसका विश्लेषण नहीं किया है

अभियुक्त को जमानत पर रिहा करें। [पैरा 12] [637-एफ-जी] 2. उस पृष्ठभूमि में, वर्तमान तथ्यों की ओर लौटते हुए, यह देखा जाता है कि एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष

उच्च न्यायालय लगभग शाब्दिक रूप से उस हिस्से के समान है जिसे इस न्यायालय द्वारा महिपाल के मामले में निकाला और अस्वीकृत किया गया है। यह देखा गया है कि इस तरह के व्यापक अवलोकन के साथ, 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 406 में अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है, हालांकि इसके तहत आरोप गंभीर हैं, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 303 और शस्त्र अधिनियम की धारा <आई. डी. 1] शामिल हैं। आरोप अंधाधुंध गोलीबारी का है जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के भाई की भी मौत हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त मामले में जांच की गई है और

आरोप पत्र दाखिल किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा, यह तथ्य कि उक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने क्रमशः 10,7 और 4 महीने बिताए थे-लक्ष्मण प्रसाद पांडे बनाम।

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

जब इस तरह के गंभीर प्रकृति के आरोपों पर मुकदमा चलाया जाना है तो यह कम करने वाला कारक नहीं रहा है। राज्य द्वारा प्रस्तुत विवरण से संकेत मिलता है कि एक अभियुक्त के खिलाफ सात अन्य मामले दर्ज हैं, जो कथित तौर पर तत्काल मामले में अभियुक्तों के समूह का हिस्सा है। ऐसी परिस्थिति में, जब कथित व्यक्तियों पर प्रतिद्वंद्वी समूह द्वारा हमला किया गया है, जैसा कि आरोप लगाया गया है। 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 407 में जवाबी शिकायत में और उक्त कार्यवाही में जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, उक्त व्यक्तियों के लिए यह उचित नहीं होगा कि वे विचार की प्रकृति को बदलने की स्थिति में हों, जब अंततः 2020 की एफ. आई. आर. संख्या 407 में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समग्र जांच की जाए।

यह भी आवश्यक होगा। इसलिए, शुरुआत में, जब यह ध्यान दिया जाता है कि अपीलार्थी के भाई की मृत्यु उसे हुए आग्नेयास्त्र के घाव के कारण हुई थी और 2020 की प्राथमिकी संख्या 406 और 2020 की प्राथमिकी संख्या 407 दोनों में संघर्ष में आग्नेयास्त्र के अंधाधुंध उपयोग का उल्लेख किया गया था, तो 2020 की प्राथमिकी संख्या 406 में आरोपी की रिहाई इस मोड़ पर उचित नहीं थी, विशेष रूप से ऐसी परिस्थिति में जहां एकल न्यायाधीश ने मामले के विशिष्ट विवरण और उस कारण के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज नहीं की है जिसके लिए प्रत्येक आरोपी जमानत पर रिहा होने का हकदार था। इस चरण में,

किसी भी घटना में किसी भी समूह में प्रत्येक सदस्य की भूमिका स्पष्ट नहीं है। [पैरा 15] [639-सी-एच; 640-ए-बी]

3. यह न्यायालय अनुदान की सराहना करने में असमर्थ है

एक से अधिक कारणों से अग्रिम जमानत। सबसे पहले, शिकायत दर्ज करने में कथित देरी इस स्तर पर सामग्री नहीं होगी क्योंकि अंतिम संदर्भ उसी घटना दिनांक 08.05.2020 का है। दिनांकित 12.05.2020 शिकायत में आरोप किसी अन्य बाद की घटना से संबंधित नहीं है ताकि इसे जवाबी विस्फोट की प्रकृति में दर्ज की गई शिकायत के रूप में माना जा सके। इसके अलावा, 2020 की एफ. आई. आर. No.406 में अपीलार्थी के कहने पर दर्ज की गई शिकायत से संकेत मिलता है कि उसकी शिकायत में, उसने अन्य बातों के साथ कहा है कि प्रतिद्वंद्वी समूह के दो व्यक्तियों ने उसके भाई को पकड़ लिया और इस तरह उसकी लाइसेंस प्राप्त पिस्तौल छीन ली। उनकी अपनी शिकायत में उक्त बयान से संकेत मिलता है कि 2020 की प्राथमिकी संख्या 406 में शिकायतकर्ता सहित समूह जो [2021] 9 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2020 की एफ. आई. आर. संख्या 407 में अभियुक्त और अनुदान की मांग कर रहे हैं

यह निष्कर्ष निकालना कि कौन सा समूह हमलावर था और जिस तरीके से गोलीबारी हुई थी और वे हथियार भी जो थे उपयोग किया जाता है। ये सभी मामले लंबित शिकायत की जांच के दौरान और इन उद्देश्यों के लिए देखे जाने योग्य हैं -

आरोप तय करना और परिणामी मुकदमा। इसके अलावा, हालांकि एक व्यक्ति को लगी चोटों को एक साधारण चोट माना जाता है, लेकिन उत्तरदाताओं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दायर जवाबी बयान से संकेत मिलता है कि जांच पूरी नहीं होने का एक कारण यह है कि उक्त घायल का अभी भी इलाज चल रहा है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे वकील द्वारा निर्दिष्ट साधारण चोटों से अधिक चोटें आई हैं। इसलिए, यदि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिसके लिए एक

विस्तृत जाँच और जाँच के दौरान हथियारों की बरामदगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उस दृष्टिकोण से, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां अपील के दूसरे सेट में अपीलार्थियों को अग्रिम जमानत प्रदान करके संरक्षित करने की आवश्यकता है। [पैरा 17] [640-एफ-एच; 641-ए-डी] 4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, दोनों मामलों में आगे की प्रक्रिया में समग्र विचार की आवश्यकता होगी।

जाँच, आरोप तय करना और मुकदमा चलाना। इसके अलावा, जैसा कि देखा गया है, अभियुक्तों में से एक का आपराधिक इतिहास भी उस घटना में शामिल समूहों में से एक का हिस्सा था जो

आई. डी. 1 पर हुई थी और उस परिस्थिति में जब मामला आई. पी. सी. की धारा 149 के अलावा धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है और दूसरी एफ. आई. आर. में, दोनों मामलों में, अपीलार्थियों को मामलों के पहले सेट में दी गई जमानत उचित नहीं होगी। इसके अलावा, जैसा कि संकेत दिया गया है, मामलों के दूसरे समूह में अपीलार्थी भी अग्रिम जमानत देने के हकदार नहीं होंगे।

हालाँकि यह उनके लिए आत्मसमर्पण करने और अपने गुण-दोष के आधार पर नियमित जमानत लेने के लिए खुला होगा। [पैरा 18] [641-डी-एफ]

महिपाल बनाम राजेश कुमार @पोलिया और अन्र। (2020) 2

एससीसी 118: [2019] 14 एस. सी. आर. 529; कल्याण चंद्र सरकार

बनाम राजेश रंजन (2004) 7 एस. सी. सी. 528 पर भरोसा किया।

लक्ष्मण प्रसाद पांडे बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

मामला कानून संदर्भ

[2019] 14 एससीआर 529

उस पर भरोसा करें

पैरा 13

(2004) 7 एस. सी. सी. 528

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2021 का सं. 1551।

उच्च न्यायालय के 16.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 के जमानत आवेदन संख्या 1694 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में न्यायिक कार्य।

के साथ

सीआरएल। अपील सं। 1558 , 1557 , 1552 , 1554-1555 , 1553 और 1556 का

2021 .

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , सुश्री साक्षी कक्कड़, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

वी. के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आदर्श उपाध्याय, अविरल सक्सेना, अमोल

चित्रवंशी, अजय प्रजापति, समीर कुमार, आदित्य शंकर प्रसाद, शाहरुख अहमद, सलिल चौधरी, मंदीप बैसला, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. पहले सेट की तीन अपीलों, सभी का शीर्षक लक्ष्मण प्रसाद था।

और 26.07.2021 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ, लखनऊ के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदन में पारित किया गया 2021 का No.1694,2020 का जमानत आवेदन No.9559,2021 का जमानत आवेदन संख्या 11 और 2021 का जमानत आवेदन No.3876। उपरोक्त मामलों में आरोपी अंजनी कुमार शुक्ला, राहुल उर्फ मोनू तिवारी और राज कुमार मौर्य हैं।

2. चार अपीलों का दूसरा सेट, जिसका शीर्षक लक्ष्मण प्रसाद पांडे था

बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्र। आपराधिक अपील No.1556/2021 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उत्पन्न) No.6061/2021); विष्णु प्रसाद पांडे [2021] 9 एस. सी. आर.

2020 का No.406। चार अपीलों के दूसरे समूह में, उसमें अपीलकर्ताओं ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया है। 2020 की एफ. आई. आर. No.407 वाले मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए उनके द्वारा दायर याचिकाएं। उपरोक्त उल्लिखित मामलों के दो सेट को टैग किया गया था,

एक साथ सुना गया और इसलिए इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है, क्योंकि इन अपीलों में मुद्दा उसी घटना से संबंधित है जो कथित रूप से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कोटवाली शहर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आई. डी. 1 पर हुई थी।

4. इन अपीलों के निपटारे के उद्देश्य से ध्यान में रखे जाने वाले संक्षिप्त तथ्यों से संकेत मिलता है कि लक्ष्मण प्रसाद पांडे ने एक

16 पर 09.05.2020 पर क्षेत्राधिकार पुलिस को शिकायत: 30 घंटों के बारे में

घटना। यही बात 2020 की एफ़. आई. आर. No.406 में दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत में, उसने आरोप लगाया था कि वह अपने भाई राम प्रसाद पांडे, सुभाष सैनी, सुरेंद्र तिवारी और अन्य लोगों के साथ मरुत नगर में स्थित भूखंड पर गया था, जहाँ शिकायत में नामित सर्वेश तिवारी, आनंद तिवारी उर्फ विवेक और अन्य कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मौजूद थे। शिकायतकर्ता वापस लेने के लिए वहाँ गया था

उसने पहले सर्वेश तिवारी को पैसे दिए थे। आरोप है कि सर्वेश तिवारी और अन्य रिपीटर, पिस्तौल और राइफल से लैस थे। जब शिकायतकर्ता वहाँ पहुँचा तो उसे और उसके सहयोगियों को कुर्सियों पर बैठने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता ने उस समय अपने पैसे वापस करने की मांग की थी। उस समय आदित्य सिंह उर्फ मेजर और शिकायत में नामित अन्य व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों पर "मार दलो सालो को" चिल्लाकर हमला करने का आह्वान किया। कथित आदित्य सिंह और मोनू पर आरोप है कि उन्होंने अपीलार्थियों के भाई को पकड़ लिया और उसकी लाइसेंस प्राप्त पिस्तौल छीन ली, जबकि सर्वेश तिवारी, आनंद तिवारी, अंजनी शुक्ला और लक्ष्मण प्रसाद पांडे बनाम।

हथियारों से लैस अन्य लोगों ने शिकायतकर्ता और उसके भाई पर गोलीबारी शुरू कर दी। वे और अधिक भाग गए और हाथापाई में, अपीलार्थी का भाई-राम प्रसाद पांडे नीचे गिर गया क्योंकि उसे आग्नेयास्त्र से चोटें आई थीं। इलाज के दौरान अंतिम सांस लेने पर उनके भाई को

जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें इलाहाबाद स्वरूप रानी अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस आधार पर, इसमें नामित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें पहले मामले में निजी उत्तरदाता शामिल हैं।

आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,307,302,188 और 120 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/30 के तहत तीन अपीलों का सेट। यह उक्त कार्यवाहियों में है,

आरोपी अंजनी कुमार शुक्ला, राहुल उर्फ मोनू तिवारी और राज कुमार मौर्य ने धारा 439 Cr.PC के तहत जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति दिए जाने के कारण, शिकायतकर्ता इस न्यायालय के समक्ष आदेश को रद्द करने की मांग कर रहा है।

5. उसी घटना के संबंध में जो कथित रूप से 08.05.2020 पर हुई थी, सर्वेश तिवारी द्वारा 12.05.2020 पर 16 बजे दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 2020 की No.407 वाली एक और प्राथमिकी दर्ज की गई थी: 14 घंटे। उक्त शिकायत में सर्वेश तिवारी ने कहा था कि वह सागरा गांव का निवासी है और वह रंजीतपुर चिलबिला में प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 08.05.2020 पर, राम प्रसाद पांडे, लक्ष्मण प्रसाद पांडे, विष्णु पांडे से संबंधित भूमि के दलाल शिकायत में नामित अन्य लोगों के साथ वहां आए और अवैध हथियारों से लैस थे। पिछली दुश्मनी के कारण, उन्हें मारने के इरादे से शिकायतकर्ता और उपस्थित अन्य लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनके चचेरे भाई आनंद तिवारी और राहुल तिवारी उर्फ मोनू और अंजनी शुक्ला भी गोली लगने से घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। हमलावर दल ने उन्हें मृत मान लिया था और उन्हें गाली देते हुए चला गया था। इस दृष्टिकोण से, शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 2020 का उक्त अपराध आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,307 के तहत दर्ज किया गया था। 2020 की उक्त एफ. आई. आर. No.407 से संबंधित अपीलों के दूसरे समूह में, लक्ष्मण प्रसाद नामक व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है।

पांडे, विष्णु प्रसाद पांडे, सुभाष सैनी, प्रमोद पांडे, रत्नाकर द्विवेदी और विकास चंद्र मिश्रा ने अग्रिम जमानत देने के लिए आईपीसी की धारा 438 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत की अस्वीकृति अपीलों के दूसरे सेट में की जाती है।

6. जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, क्योंकि उपरोक्त सभी अपीलें उसी कथित घटना दिनांक 08.05.2020 और इसकी प्रकृति से उत्पन्न होती हैं।

इन सभी मामलों में विचार समान होगा, उन पर एक साथ विचार किया जाता है।

7. हमने श्री सिद्धार्थ लूथरा, विद्वान वरिष्ठ वकील के साथ-साथ अपीलार्थियों की विद्वान वकील सुश्री साक्षी कक्कड़, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. के. शुक्ला और निजी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री समीर कुमार को इन सभी अपीलों में सुना है।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें 2020 की एफ़. आई. आर. No.406 की सामग्री के बारे में बताया है और उस प्रकाश में दिनांकित 09.05.2020 की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की ओर इशारा किया है जिसमें सामग्री से पता चलता है कि शिकायतकर्ता के मृत भाई राम प्रसाद पांडे को बाहरी चोटें आई थीं, जैसे कि आग्नेयास्त्र से हुआ घाव। इस संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि जब अभियुक्त के खिलाफ मामला गंभीर अपराधों के लिए दर्ज किया जाता है, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपराध शामिल हैं, तो विद्वान एकल न्यायाधीश को दंड प्रक्रिया का प्रयोग करने से पहले अपनी संतुष्टि को उचित रूप से दर्ज करना चाहिए था।

जमानत पर विस्तार करने का विवेक। यह तर्क दिया जाता है कि तत्काल मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिद्वंद्वी विवाद का उल्लेख करने के अलावा कुछ नहीं किया है। उसकी संतुष्टि को दर्ज करने के लिए उसी का विश्लेषण किया। सामान्य प्रकृति के अवलोकन किए जाते हैं और अभियुक्त को जमानत पर बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। यह तर्क दिया जाता है कि इस तरह का विचार कानून की स्थिति के विपरीत है

9. जहाँ तक 2020 की एफ़. आई. आर. <आई. डी. 1] से संबंधित मामले में अभियुक्त द्वारा दायर अपीलों का सवाल है, श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि उक्त शिकायत केवल एक जवाबी विस्फोट के रूप में दायर की गई है। यह एक विचार के बाद था और 12.05.2020 पर देर से दायर किया गया था। यद्यपि एफ. आई. आर. में कथित अपराध आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत भी दर्ज किया गया है, आनंद तिवारी से संबंधित चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसे शिकायतकर्ता के अनुसार घायल बताया गया है, को केवल कठोर और कुंद वस्तु के कारण साधारण चोटें आई हैं। ऐसी स्थिति में, जब उक्त एफ. आई. आर. में नामित व्यक्ति सहयोग करने के लिए उपलब्ध हों। जाँच करते हुए, उनके द्वारा अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए था और अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए थी। यह आगे तर्क दिया

जाता है कि 28.05.2018 और 29.06.2018 की रसीदें इंगित करती हैं कि सर्वेश तिवारी को लक्ष्मण प्रसाद पांडे से रु. 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की राशि मिली थी जिसे वापस किया जाना था।

वह और उनके भाई लक्ष्मण प्रसाद पांडे बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

10. निजी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उनकी ओर से दायर जवाबी-हलफनामे के संदर्भ में यह तर्क देना चाहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2020 की एफ. आई. आर. No.406 में मामले से संबंधित दलीलों और कारावास की अवधि पर ध्यान देते हुए आरोपी को जमानत दे दी थी जो उचित है। यह तर्क दिया जाता है कि जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवेकाधिकार का प्रयोग किया है, तो इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

11. राज्य के वरिष्ठ वकील श्री वी. के. शुक्ला ने तथ्यात्मक पहलुओं के संदर्भ में तर्क दिया है कि हालांकि दो एफ. आई. आर. एस.

दर्ज किए गए हैं, जैसा कि स्पष्ट है, मामला उसी घटना दिनांक 08.05.2020 से संबंधित है जहां आग्नेयास्त्रों का उपयोग करके एक समूह संघर्ष हुआ है जिसके परिणामस्वरूप अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। इस प्रकार, दोनों ही मामलों में अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के हकदार नहीं हैं। विद्वान वकील ने इसमें शामिल व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया है। यह तर्क दिया जाता है कि 2020 की एफ़. आई. आर. No.407 से संबंधित मामले में जाँच का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका क्योंकि अभियुक्त ने बाद में सहयोग नहीं किया। अग्रिम जमानत की मांग करने वाली अपील में अंतरिम संरक्षण प्राप्त करना। इसके अलावा, घायल व्यक्ति का अभी भी इलाज चल रहा है। इसलिए, विद्वान वकील की मांग है कि 2020 के अपराध No.406 में अभियुक्त को दी गई जमानत को रद्द कर दिया जाए और 2020 की एफ़. आई. आर. No.407 से संबंधित अपीलों को खारिज कर दिया जाए।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, जमानत आवेदन में 2020 की एफ. आई. आर. No.406 से संबंधित कार्यवाही में दिनांकित 16.03.2021 के आदेश का अवलोकन। 2021 का सं. 1694 इंगित करता है कि विद्वान न्यायाधीश ने हालांकि घटना के विवरण और पक्षों के विद्वान वकील के तर्क पर ध्यान दिया है, लेकिन जमानत पर अभियुक्त को बढ़ाने के लिए संतुष्टि दर्ज करने के लिए इसका विश्लेषण नहीं किया है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाया गया अंतिम कारण और निष्कर्ष नीचे दिया गया है: -

" मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और आरोपों की प्रकृति पर भी विचार करते हुए, पक्षों के लिए विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलें, जिस अवधि के लिए वह जेल में है और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे यह लगता है
जमानत पर आवेदक को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त मामला होना। "[2021] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2020 और 3876 के जमानत आवेदन Nos.9559 में पारित दिनांकित 17.12.2020 और 26.07.2021 आदेश में विचार की प्रकृति समान है। 2020 की एफ. आई. आर. No.406 में अन्य दो अभियुक्तों से संबंधित।

13. उस पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा महिपाल (ऊपर) में दिए गए निर्णय का अवलोकन, जो डॉ.

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ नीचे पढ़ते हैं: -

" 24. विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में त्रुटि होने का एक और कारण है। यह दर्ज करने के लिए जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के लिए न्यायिक अनुशासन का एक अच्छा अभ्यास है

उन कारणों को जिन्होंने अदालत के साथ इसके अभ्यास के लिए वजन किया है विवेकाधीन शक्ति। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन अनिवार्य रूप से एक ही पैरा में निहित है जो कहता है:

" 4. याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करना और तथ्यों को ध्यान में रखना और
मामले की परिस्थितियों और मामले के गुण-दोष पर राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे न्यायसंगत और उचित मानता है -

याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करें "।

25. केवल "अभिलेख का अवलोकन करना" और "मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर" दर्ज करना एक तर्कपूर्ण न्यायिक आदेश के उद्देश्य को कम नहीं करता है। यह खुलेपन का एक मौलिक आधार है।

न्याय, जिसके लिए हमारी न्यायिक प्रणाली प्रतिबद्ध है, वे कारक जो अस्वीकृति या जमानत देने में न्यायाधीश के दिमाग में आए हैं, पारित आदेश में दर्ज किए गए हैं। खुला न्याय इस धारणा पर आधारित है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि स्पष्ट रूप से और निस्संदेह किया जाता देखा जाना चाहिए। न्यायधीशों का कर्तव्य तर्कपूर्ण निर्णय देना इसके केंद्र में है।

प्रतिबद्धता। जमानत देने के सवाल आपराधिक अभियोजन से गुजरने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ-साथ

आपराधिक न्याय प्रणाली के हित यह सुनिश्चित करने में हैं कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाए। न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे इस आधार को स्पष्ट करें कि उनके पास क्या है।

एक निष्कर्ष पर पहुँचे। "

14. महिपाल (उपरोक्त) के मामले में इस निष्कर्ष पर पहुँचते समय, इस न्यायालय की माननीय पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश मामले में इस न्यायालय के पहले के एक निर्णय का उल्लेख किया था। रंजन (2004) 7 एस. सी. सी. 528 जिसमें न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े द्वारा लिखित इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

- लक्ष्मण प्रसाद पांडे बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.]

" 11. जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में कानून बहुत अच्छी तरह से तय किया गया है। जमानत देने वाली अदालत को अपने विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए न कि निश्चित रूप से। यद्यपि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच और

मामले की योग्यता का विस्तृत प्रलेखन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे आदेश में कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है

प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि जमानत क्यों दी जा रही थी

विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप लगाया जाता है। ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश

मन का उपयोग न करने से पीड़ित हैं। "

15. उस पृष्ठभूमि में, वर्तमान तथ्यों की ओर लौटते हुए, यह देखा जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में ऊपर उल्लेख किया गया है। यह लगभग शब्दशः उस हिस्से के समान है जिसे इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित महिपाल के मामले में निकाला और अस्वीकृत किया गया है। यह देखा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश, अंजनी कुमार शुक्ला, राहुल @मोनू तिवारी और राज कुमार मौर्य द्वारा की गई इस तरह की व्यापक टिप्पणी के साथ 2020 की एफ. आई. आर. No.406 में अभियुक्तों को जमानत पर बढ़ाने का आदेश दिया गया है, हालांकि इसके तहत आरोप गंभीर हैं, जिसमें आई. पी. सी. की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा <आई. डी. 2 शामिल हैं। आरोप अंधाधुंध गोलीबारी का है जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के भाई राम प्रसाद पांडे की भी मौत हो गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उक्त मामले में जांच की गई है और आरोप पत्र दायर किया गया है। इसके अलावा, यह तथ्य कि उक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने 10 खर्च किए थे,

7 और ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः 4 महीने की अभिरक्षा ने न्यायालय को प्रभावित किया है जो इस तरह के गंभीर प्रकृति के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए एक शमन कारक नहीं हो सकता था। राज्य के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत विवरण से संकेत मिलता है कि सात अन्य मामले हैं -

राज कुमार मौर्य नामक एक अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जो कथित तौर पर इस मामले में अभियुक्तों के समूह का हिस्सा है। ऐसी परिस्थिति में, जब यह भी कहा जाता है कि कथित व्यक्तियों पर प्रतिद्वंद्वी समूह द्वारा हमला किया गया था, जैसा कि 2020 की एफ. आई. आर. No.407 में सर्वेश तिवारी की जवाबी शिकायत में आरोप लगाया गया है और उक्त कार्यवाही में जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो यह उन व्यक्तियों के लिए उचित नहीं होगा जो उस समूह का हिस्सा थे, जो 2020 की एफ. आई. आर. No.407 के खिलाफ भिड़ गए थे।

जब अंततः एफ. आई. आर. No.407 में प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक समग्र जांच की जाती है तो विचार की प्रकृति को बदलने की स्थिति में होना।

2020 यह भी आवश्यक होगा। इसलिए, शुरुआत में, जब यह उल्लेख किया जाता है कि राम प्रसाद पांडे की मृत्यु उन्हें लगी बंदूक की चोट के कारण हुई थी

और 2020 की एफ़. आई. आर. No.406 और 2020 की एफ़. आई. आर. No.407 दोनों को [2021] 9 एस. सी. आर. के लिए संदर्भित किया गया है।

16. इसी तरह, 2020 की एफ. आई. आर. No.407 में दर्ज शिकायत से पता चलता है कि अपील के दूसरे सेट में अपीलकर्ताओं के खिलाफ लगाया गया आरोप भी गंभीर प्रकृति का है; इस प्रभाव से कि आरोपी व्यक्ति अवैध हथियारों से लैस थे और पिछली दुश्मनी के कारण, वे शिकायतकर्ता और उसके सहयोगियों को मारने के इरादे से वहां आए थे। इस संबंध में, यह आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता, उसके चचेरे भाई आनंद तिवारी, राहुल तिवारी, अंजनी शुक्ला पर अंधाधुंध गोलीबारी की थी और वे गोली लगने से घायल हो गए थे। उक्त आरोपों के खिलाफ, श्री सिद्धार्थ लूथरा, कथित अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना को सही ठहराने की मांग करते हुए यह तर्क देने का कठिन प्रयास किया है कि उक्त शिकायत विलंबित है और जवाबी विस्फोट के रूप में दर्ज की गई है, हालांकि आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। इस संबंध में, यह तर्क देने के लिए कि आनंद तिवारी को गोली नहीं लगी थी, उन्होंने चिकित्सा प्रमाण पत्र का उल्लेख किया है जिसमें राय व्यक्त की गई है कि जो चोटें घाव के रूप में दिखाई गई थीं, वे कठोर और कुंद वस्तु के कारण होने वाली प्रकृति की साधारण चोटें हैं। 17. यद्यपि इस तरह का तर्क सामने रखा गया है, हम अग्रिम अनुदान पर विचार करने के लिए उक्त अपीलार्थियों के पक्ष में इसकी सराहना करने में असमर्थ हैं।

जमानत, एक से अधिक कारणों से। सबसे पहले, शिकायत दर्ज करने में कथित देरी इस स्तर पर सामग्री नहीं होगी क्योंकि अंतिम संदर्भ उसी घटना दिनांक 08.05.2020 का है। आरोप में कहा गया

दिनांकित 12.05.2020 शिकायत किसी अन्य बाद की घटना से संबंधित नहीं है ताकि इसे जवाबी विस्फोट की प्रकृति में दर्ज शिकायत के रूप में माना जा सके। इसके अलावा, 2020 की एफ. आई. आर. No.406 में लक्ष्मण प्रसाद पांडे के कहने पर दर्ज की गई शिकायत से संकेत मिलता है कि अपनी शिकायत में, उन्होंने अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहा है-"इस बीच, आदित्य सिंह और मोनू ने अपीलार्थियों के भाई को पकड़ लिया और इस तरह उसकी लाइसेंस प्राप्त पिस्तौल छीन ली"। उनकी अपनी शिकायत में उक्त बयान से संकेत मिलता है कि 2020 की एफ. आई. आर. No.406 में शिकायतकर्ता सहित समूह जो 2020 की एफ. आई. आर. No.407 में आरोपी हैं और लक्ष्मण प्रसाद पांडे बनाम के अनुदान की मांग कर रहे हैं।

अग्रिम जमानत भी आग्नेयास्त्र से लैस थी जब वे उक्त स्थान पर गए थे जहाँ घटना हुई थी। यदि यही स्थिति है, तो इस स्तर पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी कि कौन सा समूह हमलावर था और जिस तरह से गोलीबारी हुई थी और किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। ये सभी मामले लंबित शिकायत की जांच के दौरान और आरोप तय करने और परिणामी मुकदमे के उद्देश्य से देखे जाने वाले हैं। इसके अलावा, हालांकि आनंद तिवारी को लगी चोटों को

एक साधारण चोट बताया गया है, लेकिन उत्तरदाताओं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दायर जवाबी बयान से संकेत मिलता है कि इसके लिए दिए गए कारणों में से एक कारण है -

जाँच का अपूर्णता यह है कि घायल का अभी भी इलाज चल रहा है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे विद्वान वकील द्वारा निर्दिष्ट साधारण चोटों से अधिक नुकसान हुआ है। इसलिए, यदि इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए, तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं जो जाँच के दौरान विस्तृत जाँच और हथियारों की बरामदगी की आवश्यकता होगी जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उस दृष्टिकोण से, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां अपील के दूसरे सेट में अपीलार्थियों को अग्रिम जमानत प्रदान करके संरक्षित करने की आवश्यकता है।

18. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, दोनों मामलों में जांच की आगे की प्रक्रिया में समग्र विचार की आवश्यकता होगी। आरोप तय करना और मुकदमा चलाना। इसके अलावा, जैसा कि देखा गया है, अभियुक्तों में से एक, राज कुमार मौर्य, जिसका आपराधिक इतिहास है, भी एक हिस्सा था।

आई. डी. 1 पर हुई घटना में शामिल समूहों में से एक और उस परिस्थिति में जब आई. पी. सी. की धारा 149 के अलावा धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है और दूसरी एफ. आई. आर. में, दोनों मामलों में, अपीलार्थियों को मामलों के पहले सेट में दी गई जमानत उचित नहीं होगी। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है, मामलों के दूसरे समूह में अपीलार्थी भी अनुदान के हकदार नहीं होंगे।

अग्रिम जमानत, हालांकि यह उनके लिए आत्मसमर्पण करने और अपने गुण-दोष पर नियमित जमानत की मांग करने के लिए खुला होगा।

19. उपरोक्त सभी कारणों के लिए, निम्नलिखित क्रम: -

((i)

दिनांकित आदेश 16.03.2021,17.12.2020 और 26.07.2021

एकल न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदनों में पारित किया गया No.1694/2021; 9559/2020 और 3876/2021 को दरकिनार कर दिया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को दरकिनार कर दिया जाता है।

((ख)

अंजनी कुमार शुक्ला और राहुल द्वारा निष्पादित जमानत बांड @ मोनू तिवारी और राज कुमार मौर्य को रद्द कर दिया जाएगा और उक्त आरोपी को हिरासत में ले लिया जाएगा।

आपराधिक अपील No.1551/2021 @एसएलपी (सीआरएल।) No.3285/2021; आपराधिक अपील No.1554-1555/2021 @एसएलपी (सीआरएल।) Nos.5605-5606/2021 और आपराधिक अपील No.1553/2021 @एसएलपी (सी. आर. एल.) सं. 5539/2021) को तदनुसार अनुमति दी जाती है।

आपराधिक अपील सं. 1556/2021 @एसएलपी (सीआरएल) No.6061/2021; आपराधिक अपील No.1552/2021 @एसएलपी (सीआरएल।)

यह आपराधिक अपील सं. में अपीलार्थियों के लिए खुला रहेगा। 1556/2021 , 1552/2021 , 1558/2021 और 1557/2021 आत्मसमर्पण करना और नियमित जमानत की मांग करना, जिस पर कानून के अनुसार अपने गुण-दोष पर विचार किया जाएगा। यह आदेश निचली अदालत या उच्च न्यायालय के लिए किसी भी अभियुक्त के आवेदनों पर उचित स्तर पर विचार करने में बाधा नहीं होगा। इस संबंध में सभी दलीलें खुली रखी जाती हैं। यहाँ दिए गए अवलोकन को मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

अपीलों का निपटारा किया गया।